

## न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 71/2021

श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैनु सिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाड़ियानंगा,  
तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर

.....रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम 1956

उपस्थित :-

- 1- श्री समीर अहमद व श्री सलमान खान वकील अपीलान्ट की ओर से।
- 2- श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील

-: आदेश :-

दिनांक-25.11.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि संवत् 2077 में श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री नैनु सिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाड़ियानंगा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ने ग्राम बाड़ियानंगा के आराजी खसरा नम्बर 684 कुल रकबा 1.2141 हैक्टर किस्म बारानी-3 (सिवायचक) भूमि में से रकबा 0.0809 हैक्टर पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान, कांटों की बाड़ व कंबिन लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 37/2021 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 04.03.2021 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की बेदखली, अंध कांटों की बाड़ को नष्ट कर मकान व कंबिन की जप्ती की कार्यवाही कर कब्जे राज लेने एवं शांति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 04.03.2021 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए वक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 04.03.2021 को



अपर कलक्टर  
अजमेर

उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। अपीलान्त ने नियत दिनांक को उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये एवं जवाब हेतु समय चाहा, जिस पर जवाब प्रस्तुत करने हेतु मौखिक तौर पर समय दिया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन अपीलान्त की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए सुनवाई व जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्त नियत दिनांक 04.03.2021 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित था एवं आदेशिका में हस्ताक्षर भी किये हैं। इसके बावजूद भी अपीलान्त को अनुपस्थित दर्शाते हुए निर्णय पारित किया गया है। उन्होंने आगे कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम पंचायत सरवीना की भूमि है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 22.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 8 के द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 683 व 684 की भूमि को आबादी में दर्ज करने बाबत प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, व्यावर को भिजवाया हुआ है तथा ग्राम पंचायत सरवीना द्वारा भी आबादी में परिवर्तन किये जाने बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा साजिशाना तौर पर बेदखली की कार्यवाही करवाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। विवादित आराजी पर काफी अर्से से अपीलान्त व पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है एवं मौके पर अपीलान्त का कच्चा व पक्का निर्माण हो रखा है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्त द्वारा सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान, कांटों की बाड़ व केबिन लगाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है एवं आदेश पारित करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्त द्वारा विवादित आराजी पर अवैध रूप से पक्का मकान, कांटों की बाड़ व केबिन लगाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है। विवादित आराजी राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी सन्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 1 में सिवायचक खाते में दर्ज है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। उसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्त सरहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(केलाश चन्द्र शर्मा)  
 (केलाश चन्द्र शर्मा)  
 अपर कलेक्टर  
 अजमेर